

पत्र संख्या-वन भूमि -21/2015-

362

व0 प0 राँची, दिनांक- 22.01.2016

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव,

भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इन्दिरा पर्यावरण भवन, अली गंज,

जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:-

मेसर्स UCIL, जादूगोड़ा, माईनिंग लीज का जमशेदपुर वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-इचड़ा, मेचुआ एवं भाटीन में 100.681 हे० भूमिगत एवं 33.743 हे० सतही कुल 134.424 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची से प्राप्त पत्रांक-1157 दिनांक-16.10.15 एवं पत्रांक-1315 दिनांक-16.12.15 से प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में एवं प्रतिवेदन अनुलग्नक सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची की अनुशंसा/मंतव्य से राज्य सरकार सहमत है।

कृपया विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- वन भूमि -21/2015-

362

व0 प0, राँची, दिनांक - 22.01.2016

प्रतिलिपि- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A2, श्यामली कॉलोनी, राँची-834002 को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- वन भूमि -21/2015-

362

व0 प0, राँची, दिनांक - 22.01.2016

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/महाप्रबंधक (माईस) U.C.I.L, P.O.- जादूगोड़ा, माईस, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड-832107 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

*Diversion of 134.424 ha of Forest Land for Jaduguda Mining
Lease in favour of UCIL*

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

*Recommended for diversion of 134.424 ha of Forest
land with conditions as stated in the forwarding letter
no. 362 dated 22.01.2016.*

Signature :

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)

Forest, Environment & Climate
Change Department

उप सचिव

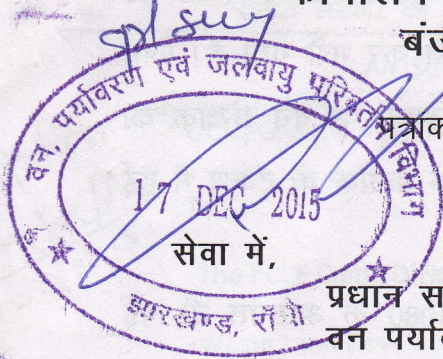
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date : 22.01.2016

Place : Ranchi

(Official Seal)

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

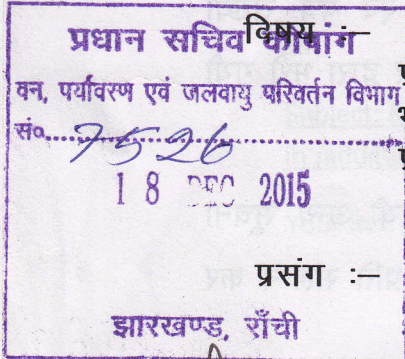


पत्रांक:-

1315

दिनांक:- 16.12.2015

प्रधान सचिव,
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची ।



मेसर्स यू0सी0आई0एल0 जादूगोड़ा माईनिंग लीज का, जमशेदपुर वन प्रमंडल के अन्तर्गत मौजा- ईचड़ा, मेचुआ एवं भाटिन में 100.681 हे० भूमिगत एवं 33.743 हे० सतही कुल 134.424 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंग :- (1) आपका कार्यालय पत्रांक वनभूमि-21/2015-5853 दिनांक 19.11.2015.

(2) मेसर्स यू0सी0आई0एल0, जादूगोड़ा का पत्र संख्या UCIL/SM(Mines)/Forest/11/2015 दिनांक- 14.12.2015.

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 1175 दिनांक 16.10.15 के आलोक में सूचित करना है कि विषयगत वन भूमे अपयोजन प्रस्ताव में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के संबंधित पदाधिकारियों से सम्पर्क कर MOEF के Website में निम्न त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन उनके पत्र संख्या UCIL/SM(Mines)/Forest/11/2015 दिनांक- 14.12.15 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा समर्पित किया है:-

1. Form B के कंडिका A-4 में पूर्व स्वीकृत भूमि का सुधार MOEF द्वारा कर दिया गया है, वर्तमान में कंडिका A-4 - Details approvals under the forest conservation Act, 1980 accorded in part में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा area of Forest Land diverted 154.464 हे० अंकित है ।
2. Website पर किए गए प्रपत्र फार्म- बी के पार्ट- I के heading में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा MoEF से सम्पर्क कर सुधार किया है । वर्तमान में heading - Form for seeking prior approval under section - 2 of the proposals by the State Government and other authorities in respect of renewal of leases which has been earlier granted clearance under Forest Conservation Act, 1980 अंकित है ।

3. वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के द्वारा **Form - B** के **part - iii** में क्रमांक 10 से 12 के स्थान पर क्रमांक 14 से 16 में अपना अनुशंसा अंकित कर भरी गयी है। जिन विषयों पर वन संरक्षक का मंतव्य अंकित किया जाना है उन विषयों पर वन संरक्षक का मंतव्य **correct** है इस लिये वन संरक्षक के द्वारा **part - iii** के क्रमांक के टंकण में हुई त्रुटि कोई चिन्ता का विषय नहीं है।
4. मेसर्स यू0सी0आई0एल0 के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गई प्रथम तथा द्वितीय (अंतिम में) स्टेज की स्वीकृति से संबंधित पत्र क्रमशः भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या- **F.No-8-49/97-FC** दिनांक 24.07.1997 एवं पत्र संख्या **F.No-8-49/97-FC** दिनांक 20.04.1998 वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा भरी गयी पार्ट- II के **additional information** के **serial no. - 1** में संलग्न है।

इस कार्यालय के पत्रांक- 1157 दिनांक 16.10.15 द्वारा भेजी गयी अन्य सूचना एवं प्रतिवेदन यथावत् समझा जाए। पुनः उक्त पत्र एवं प्रस्ताव की तीन मूल प्रति संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।